

प्रेषक,

हरेन्द्र वीर सिंह

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर

उ०प्र० लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक: 6 जुलाई,2016

विषय:- वाणिज्य कर अधिकारियों के वेतनमान रू० 9300-34800 का ग्रेड पे रू० 4600/- के स्थान पर रू० 4800/- स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-स्था-2-वेतनमान पुनरीक्षण-2009-

एडि० कामि०वा०क० अ०-संघ/418/वाणिज्य कर, दिनांक 29-08-2013 एवं तत्क्रम में प्रेषित पत्र

दिनांक 30-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्तसंबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर

मुख्य सचिव समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-33/2016/ वे०आ०-2-493/दस-8(मु०स०स०)/2011 टी०सी० , दिनांक

09, जून 2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 रू० 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू० 4600/-

के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 रू० 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू० 4800/- इस शासनादेश के दिनांक से अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति

प्रदान करते हैं।

उक्तानुसार उच्चीकृत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पद धारकों को वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे०आ०-2/841/दस-2009-59 (एम)/2008, दिनांक

24, दिसम्बर, 2009 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

846
11-7-16

श्री 1463
13/7/16

13-7-16

--2--

4. यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-564/ दस-2016, दिनांक 30 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

Q
1/6

भवदीय,
06/7/16
(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1-1290(1)/11-3-2016 तद्विनांक।

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र0 इलाहाबाद।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, 30प्र0।
- (3) समस्त जिला कोषाधिकारी, 30प्र0 ।
- (4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।
- (5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9 ।

आज्ञा से,
←
(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(स्थापना- अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 12 जुलाई, 2016.

वाणिज्य कर अधिकारियों के वेतनमान रु0 9300-34800 का ग्रेड पे रु0 4600/- के स्थान पर ग्रेड पे रु0 4800/- स्वीकृत किये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या-1/1290/11-3-16-232/11 दिनांक 06-07-2016 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

- 1- अनु सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3, 30प्र0शासन, सचिवालय लखनऊ ।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 5- एडीशनल कमिश्नर (उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय)वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ/गाजियाबाद ।
- 6- एडीशनल कमिश्नर(लेखा)/बजट अनुभाग वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 10- वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 11- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर, गोमतीनगर लखनऊ ।
- 12- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त शासनादेश की प्रति विभाग की बैबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 13- अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश कानपुर ।
- 14- लेखाकार, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 15- स्था0-2 पटल सहायक (श्री श्रीराम /श्री जसवन्त)वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 16- स्था0-1 पटल, सहायक श्री राघवेन्द्र सिंह, वाणिज्य कर मुख्यालय ।

(सुनील कुमार राय)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।